Email

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/632 पार्ट/332। भोपाल, दिनांक 03/10/2020

//आदेश//

1/ कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम उपायो के अन्तर्गत कार्यालयों में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियो के विषय में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो के अनुक्रम में म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 11–09/2020/1/9 दिनांक 21.10.20 द्वारा मंत्रालय एवं अन्य राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यालयीन कार्य संपादित करने के संबंध में भारत सरकार के अनलॉक–5 के निर्णय के मद्‌देनजर कार्यालय में कार्यक्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से अधिकारियों के समान सभी कर्मचारी की कार्यालय में शतप्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः राज्य शासन के उक्त दिशा–निर्देश के तहत म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय, आंचलिक कार्यालयों, तकनीकी कार्यालयों में पदस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निम्न शर्तो का कडाई से पालन के साथ कार्यालय में प्रतिदिवस शत्–प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करायी जाना सुनिश्चित किया जावें :–

शर्ते :–

1. प्रत्येक कर्मचारी को स्वयं एवं अन्य की सुरक्षा हेतु मास्क का उपयोग करना होगा।
2. प्रत्येक कर्मचारी के लिये अनिवार्य होगा कि वह कार्यालयीन अवधि में मास्क से मुंह एवं नाक ढाक कर रखे तथा बात करते समय मास्क को नीचे न करें।
3. कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग हेतु परस्पर पर्याप्त दूरी रखी जावे।
4. संपर्क में आने वाली सतह, दरवाजो के हेंडल/हेंड्रेल, शौचालय इत्यादि को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जावें।
5. अभिवादन हेतु आपस में हाथ न मिलावें तथा एक साथ बैठकर चाय, भोजन इत्यादि न करें।
6. नियमित रूप से साबुन–पानी तथा एल्कोहल युक्त हेंड सेनिटाईजर का उपयोग किया जावें।
7. कोविड–19 संबंधी कोई भी लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण हो तो तत्काल फिवर क्लीनिक में परीक्षण करावे तथा प्रभारी अधिकारी को सूचित करें।

2/ पूर्व की भांति कृषि उपज मण्डी समितियों में अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में जिला कलेक्टर के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(प्रियंका दास)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

E:\RajeshMistri\Order\Order-Kary_4.docx

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/632 पार्ट/3322 भोपाल, दिनांक 23/10/2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. अपर/संयुक्त/उप संचालक (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
3. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
4. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)।
5. कार्यपालन यंत्री म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी सभाग ....(समस्त)।
6. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति .... (समस्त)
7. समस्त अधिकारी/कर्मचारी म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
8. आदेश नस्ती/सूचना पटल .... (शाखा समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल